न्यायालय अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

सरकार बनाम झाबरमल बाजिया वगै.

मुकदमा नम्बर 152/2025/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

19.03.2026	पत्रावली पेश हुई। खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी संख्या 1 झाबरमल बाजिया पुत्र श्री हनुमान सिंह बाजिया मैसर्स श्री श्याम इन्ट्रप्राईजेज, बंशीपुरा चौराहा, बायपास रोड, खण्डेला, सीकर उपस्थित आये एवं जवाब आवेदन पेश किया। अप्रार्थी सं. 3 पंकज कुमावत पुत्र श्री राजकुमार कुमावत, निवासी ग्रा. पो. गुढागोडजी, तह. उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू मैसर्स सीकर एण्ड झुंझुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., एन.एच. 11, जयपुर रोड पलसाना, सीकर उपस्थित आये। अप्रार्थी पंकज कुमावत पुत्र श्री राजकुमार कुमावत ने उपस्थित आकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.10.2023 को निरीक्षण के दौरान मैसर्स– श्री श्याम इन्ट्रप्राईजेज, बंशीपुरा चौराहा, बायपास रोड, खण्डेला, सीकर से हमारी फर्म द्वारा विक्रय हेतु बनाये गये पाश्चुराईज्ड टोन्ड मिल्क(सरस) का नमूना लिया गया। उक्त नमूना Sub-standard का पाया गया। हमारी फर्म सीकर एण्ड झुंझुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., एन.एच.11, जयपुर रोड पलसाना, सीकर द्वारा उक्त पाश्चुराईज्ड टोन्ड मिल्क(सरस) श्री श्याम इन्ट्रप्राईजेज, बंशीपुरा चौराहा, बायपास रोड, खण्डेला, सीकर पर विक्रय हेतु भिजवाये गये थे। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष को सुना गया एवं पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नम्बर एफ– 3896 खाद्य पदार्थ पाश्चुराईज्ड टोन्ड मिल्क(सरस) का नमूना लिया गया। खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/4316/एक्ट/2021/4410 दिनांक 03.11.2023 के मुताबिक उक्त नमूना Sub-standard का पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ पाश्चुराईज्ड टोन्ड मिल्क(सरस) जांच रिपोर्ट में अमानक Sub-standard पाये जाने के पश्चात् अप्रार्थी को उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने एवं अपने समर्थन में अन्य किसी प्रकार के दस्तावेजात पेश करने हेतु

४५

	लिखा गया था। उक्त सम्बंध में अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर के समक्ष किसी प्रकार के दस्तावेजात पेश नहीं किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मैसर्स श्री श्याम इन्ट्रप्राईजेज, बंशीपुरा चौराहा, बायपास रोड, खण्डेला, सीकर से उक्त खाद्य पदार्थ का खरीद बिल पेश किया गया। खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में उक्त नमूना Sub-standard का पाये जाने से अप्रार्थी को भविष्य में अमानक रहित खाद्य पदार्थो का विकय किये जाने की हिदायत के साथ एवं खादय एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत **अप्रार्थी संख्या 1 झाबरमल बाजिया मैसर्स श्री श्याम इन्ट्रप्राईजेज, बंशीपुरा चौराहा, बायपास रोड, खण्डेला, सीकर के 5,000/– रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 पंकज कुमावत पुत्र श्री राजकुमार कुमावत, निवासी ग्रा.पो. गुढागोडजी, तह. उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू मैसर्स सीकर एण्ड झुंझुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., एन.एच.11, जयपुर रोड पलसाना, सीकर के 45000/–** रूपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये, वरना अप्रार्थीगण के विरूद्व इस अधिनियम के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। 19/3/26 न्याय निर्णायक अधिकारी एवं (अपर जिला मजिस्ट्रेट) सीकर (राज.)	

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं (अपर जिला मजिस्ट्रेट) सीकर (राज.)